

:- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से हट जाये हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने का अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खसरा संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
परीगाडी	364	राम-पन्हु कुंड	641	0.07	राम-पन्हु श्रीकांत	641	0.07
	365	शुभाराम जाहि जाहि	71	1.58	कुंड शुभाराम	71	1.58
			478	0.02	जाहि-जाहि	478	0.02
			479	0.44		479	0.44
			480	0.09		480	0.09
			481	0.05		481	0.05
			482	0.01		482	0.01
			81	0.35		81	0.35
			85	0.04		85	0.04
			86	2.13		86	2.13

क्रमांक :-  $\frac{412}{21 \cdot X \cdot 21}$   
प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

शिविर प्रमारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-

शिविर प्रमारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :- 20/01/2021, स.स. मौलासर

उप तहसीलदार, मौलासर